न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 03/2014 (रा.प्र.प.) **दायर दिनांक– 14.02.2014**

1. श्री चतरभुज पिता गणेश गुर्जर, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
2. श्री नारू पिता हेमराज गुर्जर, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
3. श्री गोवर्धन पिता मोती गुर्जर, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
4. श्री कालू पिता मोती गुर्जर, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
5. श्री रूपलाल पिता मोती गुर्जर, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सज्जन सिंह पिता गिरिवर सिंह राव, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
2. श्रीमती सीता पत्नी रतन सिंह राव, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर
3. तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
4. ग्राम पंचायत आक्या जरिये सरपंच, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौडगढ ।

विपक्षीगण

कार्यवाही :–निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4)

उपस्थिति :–वकील प्रार्थी :– श्री कैलाश झंवर
वकील विपक्षी :– श्री छोगालाल जाट

निर्णय **दिनांक 30.11.2017**

उपरोक्त अनवान प्रकारण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी सं 1 को ग्राम गंठेडी, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 234 मीन में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 08.06.1989 को अवैध रूप से आवंटन कर कानूनी भूल की है। स्वय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 18 बीघा भूमि पूर्व में ही आवंटी सज्जन सिंह के पास थी और उसके उपरान्त भी अन्य कोई व्यक्तियों जो भूमिहीन थे जिनमें से कई भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति थे। फिर भी विपक्षी अपात्रित व्यक्ति को भूमि आंवटित की है। आंवटित भूमि आवंटन योग्य नही है क्योंकि संबंधित भूमि आबादी से लगी हुई है और कई व्यक्तियों के मकान बने हुए है जिसमें लोग निवास कर रहे है। भूमि आंवटन की प्रक्रिया में नियमानुसार न कोई उदघोषणा जारी की और न ही किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनायी गई है । अभियान में हाथों–हाथ आवेदन प्राप्त कर अपने चहेते को भूमि का आंवटन किया गया जो अब तक भी आबाद नही हुई है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा फर्जी रेकार्ड बनाकर खातेदारी

अर्जित कर ली है एवं खातेदारी अर्जित करते ही भूमि को विक्रय कर दी। अतः विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन नही करने से उक्त आंवटन निरस्त योग्य है।

प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किए गए।

विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण मौजा गंठेडी के निवासी होना स्वीकार है, बकाया तथ्य कि वह ग्राम वासियान के प्रतिनिधि है, गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण को ग्राम वासियान गंठेडी द्वारा कभी भी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया है न ही ग्रामवासियान द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने के कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है व प्रार्थीगण का यह कथन की ग्राम पंचायत इस मामले में रूचि नही लेना चाहती है पूर्णतया गलत है। विवादित आराजीयात बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड रही है जिससे ग्राम पंचायत का किसी प्रकार से संबंध सरोकार नही है। पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई अंकन नही किया है जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 01 को आवंटन का पात्र नही माना जा सकता हो। विपक्षी संख्या 01 को विधिवत रूप से आवंटन आदेश पारित किया जाकर आंवटित भूमि विपक्षी संख्या 01 के गैर खातेदारी में दर्ज की गयी व उसके पश्चात खातेदारी में दर्ज की गयी व खातेदरी मिलने के पश्चात उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 02 के नाम पर हस्तान्तरित की गई जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 02 के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 01 को आंवटित भूमि वक्त आवंटन आवंटन योग्य भूमि थी व उक्त भूमि आबादी भूमि न होकर बिलानाम काबिल काश्त भूमि रही है। वक्त आवंटन विवादित भूमि अनओक्यूपाईड भूमि थी। जिससे उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 को विधिवत जांच की जाकर आवंटन का पात्र होने से आंवटित की गयी है। अतः विपक्षी संख्या 01 को भू आवंटन कमेटी द्वारा आंवटन आदेश पारित किया गया व पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी मय हर्जा–खर्चा निरस्त फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 01 के नाम आवंटन आदेश यथावत रखा जावें।

प्रकरण पर उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के वैद्य आंवटन के लिये तीन शर्ते आवश्यक है (1)भूमि आवंटन योग्य होनी चाहीये। (2) आवंटी आवंटन हेतु पात्रता रखता हो। (3) आवंटन की नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई हो। उक्त तीनों में से एक भी शर्त पुरी नही होती हो तो आवंटन अवैध होकर निरस्त योग्य है। उपरोक्त तीनों शर्तो की पालना नही की गई है तथा भूमि आवंटन योग्य नही है चुंकि उक्त भूमि आबादी से जुडी है तथा आबादी के मध्य में आती है। इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली जा सकती है। प्रार्थी ने नकल जमाबंदी व खसरे पेश किये है उसमें स्पष्ट है कि आवंटन की

शर्तो के अनुसार आबाद नही किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी भूमिहीन नही है। आवंटन प्रक्रिया में भूमिहीनों की सूचि उदघोषणा आदि की प्रक्रिया नही होने से आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रकरण पर वकील विपक्षी के लिखित बहस का कथन है कि आवंटन कमेंटी द्वारा गंठेडी की आराजी नम्बर 234 मीन में से 4 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 01 को आवंटन की गई उस समय निगरानीकार व अन्य व्यक्ति के प्रार्थना पत्र नही थे जिनको आवंटन किया जा सके। आंवटित भूमि आबादी भूमि न होकर कृषि भूमि होकर बिलानाम सरकार दर्ज है। विपक्षी संख्या 01 आंवटन का पात्र होने से आवंटन की गई है। भूमि आंवटन में विधिवत प्रक्रिया अपनाकर भूमि का आंवटन किया गया तथा आवंटित भूमि का विपक्षी को कब्जा सुपुर्द किया गया तब से विपक्षी संख्या 01 आंवटित भूमि पर काबिज है। आंवटित भूमि पर विधिवत खातेदारी अधिकार प्राप्त किया तथा अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी जरूरत की पूर्ति हेतु विपक्षीसंख्या 02 को उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण किया गया है । ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली पर रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि का अंकन पिताजी के नाम होने का किया गया है ऐसी स्थिति में स्वयं आवंटी के नोश्नलशेयर से भूमि हिस्से में आती है। वक्त आंवटन भूमि राजकीय भूमि होने से आवंटन की गई है।उक्त भूमि तत्कालिन समय में आबादी भूमि होने के सबंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नही किया। आंवटित भूमि आबादी भूमि के समीप हो अथवा नही इस संबंध में आवंटन नियम राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि–आवंटन) नियम 1970 के तहत् कोई व्यवस्था प्रदान नही की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से लगी हुई भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नही किया जा सकेगा। वक्त आवंटन कमेटी ने स्वयं सरपंच भी कमेटी का सदस्य है। इस संबंध में सरपंच द्वारा भी किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज आवंटन प्रार्थना पत्र पर नही किया गया है। उक्त आवंटन विपक्षी संख्या 01 को किये गये 29 वर्ष व्यतीत होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आवंटन को निरस्त कराने बाबत् किसी प्रकार का ठोस कारण एवं सबूत प्रस्तुत नही किया है। वर्तमान में उक्त आंवटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर आवंटी द्वारा विपक्षी संख्या 02 को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय किया गया जिसका अंकन भी

ग्राम गठेंडी की जमाबंदी सम्वत् 2059 से 62 में किया गया है। इस प्रकार की प्रकृति के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या डीबीसी सिविल रीट पीटीशन संख्या 948/1986 अनवान पटराम वगैरा बनाम सरकार के पेज संख्या 780 मे प्रतिपादित किया कि राजस्थान भू राजस्व आंवटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार कन्फर्म हो जाने के बाद आवंटन को निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को नही है। प्रकरण पर उपलब्ध तथ्यों में प्रार्थीगण द्वारा 29 साल बाद आवंटन निरस्त कराने बाबत् अपील प्रस्तुत की है जिसमें किसी प्रकार के ठोस कारण अथवा सबूत प्रस्तुत नही किये है तथा न ही अपने लिखित बहस में ऐसे कथन का अंकन किया हो जिससे आवंटन निरस्त कराने के संबंध में कारण बनता हो।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 01 को आंवटन कमेटी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया गया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा आवंटन को 29 वर्ष बाद निरस्त कराने के संबंध में कोई औचित्य पूर्ण एवं ठोस कारण पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करने योग्य नही है। अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार ग्राम गंठेडी की आराजी नम्बर 234 मीन में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन को बहाल रखा जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसर शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ़